



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : bsea.bihar.gov.in, Email- bseapatna@gmail.com

पत्रांक- नि० प्रा०/ नि० 1-13/2022 1916 / पटना, दिनांक 14/10/2022
प्रेषक,

पुरूषोत्तम पासवान,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०),

उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (सं०),

गया, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, बांका, कैमूर, मुंगेर, कटिहार, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नवादा, पटना, पूर्णिया, जमुई, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं बेगूसराय।

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं०),

(संलग्न सूची के अनुसार) ।

विषय : व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी ।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निर्बंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं० सं०) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (सं० सं०) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. सम्प्रति प्राधिकार उन 88 (अठासी) व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कराना चाहता है, जिनका निर्वाचन देय है या जो अवक्रमित है। वैसी समितियों की सूची परिशिष्ट-1 पर दी गई है।

4. वर्तमान में राज्य के व्यापार मंडल दो उप विधियों के आधार पर गठित हैं। सुविधा के लिए इन्हें हम पुरानी उपविधि एवं नयी उपविधि कह सकते हैं। नयी उपविधि का अर्थ है कि सोसाईटी सहकारिता विभाग के पत्रांक-4234 दिनांक 05.10.2009 द्वारा अनुमोदित नयी उपविधियां के आधार पर गठित की गयी है। दोनों उपविधियों की सदस्यता एवं अयोग्यता संबंधी प्रावधानों को प्रदर्शित करती एक सारिणी अनुलग्नक-1 के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. व्यापार मंडल के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकार द्वारा कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.09.2022 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। केवल वैसी समितियां एवं व्यक्तिगत किसान (पुरानी उपविधियों के मामले में) ही मत देने के योग्य होंगे जो उक्त तिथि तक व्यापार मंडल से संबद्ध है या सदस्य बन चुके हैं।

6. राज्य के जो व्यापार मंडल पुरानी उपविधि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, निर्वाचन के उद्देश्य से उनकी मतदाता सूची दो भागों (Parts) में तैयार की जायेगी -

भाग- I (पुराना)

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यापार मंडल से कट-ऑफ तिथि में संबद्ध सहकारी समितियाँ (पैक्स सहित)।

भाग - II (पुराना)

कार्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तिगत किसान, जो कट-ऑफ तिथि में व्यापार मंडल के विधिवत् सदस्य हैं।

7. जिन व्यापार मंडलों ने नयी उपविधि को अंगीकार कर लिया है, निर्वाचन के उद्देश्य से उनकी मतदाता सूची भी दो भागों में तैयार की जायेगी -

भाग- I (नया)

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यापार मंडल से संबद्ध केवल सभी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)।

भाग- II (नया)

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यापार मंडल से कट-ऑफ तिथि तक संबद्ध अन्य सहकारी समितियाँ।

8. पुरानी उपविधि के अनुसार कार्यशील प्रत्येक व्यापार मंडल से संबंधित सदस्यता सूची प्रपत्र-1A एवं प्रपत्र-1B में तथा नयी उपविधि के अनुसार कार्यशील व्यापार मंडल से संबंधित मतदाता सूची प्रपत्र-1C एवं प्रपत्र-1D में व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा तैयार की जायेगी। उक्त प्रपत्रों की नमूना प्रति अनुलग्नक-2 पर दी गयी है।

9. प्रपत्र-1A/ 1C/ 1D जो संबद्ध समितियों के लिए हैं, के मामले में कट-ऑफ तिथि तक संबद्ध सभी समितियों का नाम उक्त प्रपत्रों में अंकित किया जायेगा। पैक्स (PACS) एवं अन्य समितियाँ, जिनके निर्वाचन सक्षम प्राधिकार द्वारा कराये जा चुके हैं, के मामले में 'अभ्युक्ति' स्तंभ में उनके निर्वाचन की तिथि अंकित की जायेगी, एवं स्तंभ-3 में 'अध्यक्ष' लिखा जायेगा। कुछ ऐसी समितियाँ भी हो सकती हैं जो या तो परिसमापित है या परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। इस तथ्य का उल्लेख भी उन समितियों के सामने अभ्युक्ति स्तंभ में करना है। वैसी समितियों के मामले में प्रपत्रों के स्तंभ-3, जहाँ समिति के अध्यक्ष लिखना है, को खाली (blank) छोड़ दिया जायेगा। कुछ ऐसी समितियाँ भी हो सकती हैं जो अपने निर्बंधित पते पर अस्तित्व में नहीं पायी गयी हो या जिनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, या जो परिसमापन के योग्य हैं किन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की गई है। जैसे मामलों में अभ्युक्ति स्तंभ में तथ्य का उल्लेख किया जायेगा एवं डेलीगेट से संबंधित स्तंभ-3 खाली (blank) छोड़ दिया जायेगा।

10. प्रपत्र 1B (अर्थात् पुरानी उपविधि के आधार पर सम्मिलित व्यक्तिगत किसान) सोसाइटी में उनकी सदस्यता के आधार पर तैयार किया जायेगा। जैसे सदस्यों का नाम, जिनकी मृत्यु की संपुष्ट सूचना प्राप्त हो सूची से हटा दिये जायेंगे।

11. प्रपत्र 1A/ 1B/ 1C एवं 1D में मतदाता सूची तैयार कर संबंधित व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 20.10.2022 तक सौंपी जायेगी जो अपने यहाँ उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उसकी प्रामाणिकता (Authenticity) की जांच करेंगे एवं जांचोपरान्त, तथा संशोधनोपरान्त, अगर कोई हो, उसे सत्यापित कर निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। अगर संबंधित व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा यह सूची निर्धारित अवधि तक जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे स्वयं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूची तैयार करें एवं सूची के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर इसे दिनांक 25.10.2022 तक निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

12. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित सदस्यता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना संलग्न प्रपत्र-2 (अनुलग्नक-3) में निर्गत की जायेगी।

13. मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1	व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा प्रपत्र-1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	20.10.2022
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	25.10.2022
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	26.10.2022
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	26.10.2022
5	आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	26.10.2022 से 09.11.2022 तक
6	आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	11.11.2022

14. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्न स्थलों पर किया जायेगा :-

- (i) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ii) व्यापार मंडल के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

15. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) दिनांक 26.10.2022 को निम्नरूप से किया जायेगा :-

Step -1 - लॉगिन करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2 - प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" में हाँ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर

“मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 28.10.2022 को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्राधिकार के ई-मेल (bseapatna@gmail.com) पर दिनांक 29.10.2022 तक भेज दिया जायेगा। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि कराये, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

16. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं (समितियाँ/ व्यक्तिगत सदस्य) का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी समिति अथवा व्यक्ति का नाम अंकित किये जाने से संबंधित कोई दावा संलग्न प्रपत्र-3 (अनुलग्नक-4) अथवा प्रपत्र-4 (अनुलग्नक-5) में विहित समय सीमा के अन्तर्गत ही दिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों/ समितियों द्वारा दिया जायेगा जिनका नाम व्यापार मंडल की सदस्यता सूची में सम्मिलित है। सदस्यता सूची से बाहर किसी सहकारी समिति या व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

17. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु सक्षम होंगे।

18. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले चुनाव की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो, तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम विगत निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हो, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र/ निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित व्यापार मंडल/ सहकारिता विभाग के स्थानीय पदाधिकारी/ जिला सहकारिता पदाधिकारी से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गयी पृच्छाओं का अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट उत्तर देने हेतु कर्तव्यवद्ध (Duty bound) हैं।

19. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र-5 (अनुलग्नक-6) में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप प्रपत्र-6 (अनुलग्नक-7) पर देखा जा सकता है।

20. संबंधित व्यापार मंडल की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

21. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करें, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

22. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति व्यापार मंडल में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹1.50 प्रति पृष्ठ की लागत दर पर व्यापार मंडल सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

23 : निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 11.11.2022 को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :-

Step -1- मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित "अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

दिनांक 12.11.2022 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 में ही निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को उसी प्रपत्र में फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष दूत द्वारा दिनांक 14.11.2022 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

24. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारी दोनों अपने-अपने स्तर से संबंधित व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

25. कोरोना वायरस का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अंदर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा इनपर सुनवाई के समय एक दूसरे व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।
अनुलग्नक: यथोक्ता।

विश्वासभाजन,



(पुरूषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1916

/पटना, दिनांक 14/10/2022

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, बांका, कैमूर, मुंगेर, कटिहार, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नवादा, पटना, पूर्णिया, जमुई, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं बेगूसराय। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।


सचिव।

ज्ञापांक : 1916

/पटना, दिनांक 14/10/2022


प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक : 1916

/पटना, दिनांक 14/10/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक : 1916

/पटना, दिनांक 14/10/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

निर्वाचन देय व्यापार मंडल सहयोग समितियों की सूची।

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
1	गया	बोधगया	बोधगया व्यापार मंडल स0स0लि0
2	गया	टनकुप्पा	टनकुप्पा व्यापार मंडल स0स0लि0
3	गया	इमामगंज	इमामगंज व्यापार मंडल स0स0लि0
4	पश्चिम चम्पारण	नरकटियागंज	नरकटियागंज व्यापार मंडल स0स0लि0
5	पश्चिम चम्पारण	रामनगर	रामनगर व्यापार मंडल स0स0लि0
6	पश्चिम चम्पारण	सिकटा	सिकटा व्यापार मंडल स0स0लि0
7	पश्चिम चम्पारण	मंझौलिया	मंझौलिया व्यापार मंडल स0स0लि0
8	पश्चिम चम्पारण	बगहा-2	बगहा-2 व्यापार मंडल स0स0लि0
9	गोपालगंज	विजयीपुर	विजयीपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
10	गोपालगंज	हथुआ	हथुआ व्यापार मंडल स0स0लि0
11	गोपालगंज	कुचायकोट	कुचायकोट व्यापार मंडल स0स0लि0
12	गोपालगंज	फुलवरिया	फुलवरिया व्यापार मंडल स0स0लि0
13	गोपालगंज	बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
14	गोपालगंज	मीरगंज	मीरगंज व्यापार मंडल स0स0लि0
15	गोपालगंज	मांझा	मांझा व्यापार मंडल स0स0लि0
16	गोपालगंज	सिधवलिया	सिधवलिया व्यापार मंडल स0स0लि0
17	गोपालगंज	बरौली	बरौली व्यापार मंडल स0स0लि0
18	बांका	बौसी	बौसी व्यापार मंडल स0स0लि0
19	कैमूर	भगवानपुर	भगवानपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
20	कैमूर	मोहनियाँ	मोहनियाँ व्यापार मंडल स0स0लि0
21	मुंगेर	तारापुर	तारापुर व्यापार मंडल स0स0लि0
22	मुंगेर	जमालपुर	जमालपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
23	मुंगेर	संग्रामपुर	संग्रामपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
24	मुंगेर	धरहरा	धरहरा व्यापार मंडल स0स0लि0
25	मुंगेर	असरगंज	असरगंज व्यापार मंडल स0स0लि0
26	मुंगेर	बरियारपुर	बरियारपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
27	कटिहार	समेली	समेली व्यापार मंडल स0स0लि0
28	कटिहार	कोढ़ा	कोढ़ा व्यापार मंडल स0स0लि0
29	कटिहार	प्राणपुर	प्राणपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
30	कटिहार	आजमनगर	आजमनगर व्यापार मंडल स0स0लि0
31	कटिहार	कटिहार	संयुक्त व्यापार मंडल स0स0लि0, कटिहार
32	कटिहार	बारसोई	बारसोई व्यापार मंडल स0स0लि0
33	सीतामढ़ी	सुरसण्ड	सुरसण्ड व्यापार मंडल स0स0लि0

34	शेखपुरा	अरियरी	अरियरी व्यापार मंडल स0स0लि0
35	शेखपुरा	बरबीघा	बरबीघा व्यापार मंडल स0स0लि0
36	शेखपुरा	चेवाड़ा	चेवाड़ा व्यापार मंडल स0स0लि0
37	नवादा	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
38	नवादा	हिसुआ	हिसुआ व्यापार मंडल स0स0लि0
39	नवादा	कौआकोल	कौआकोल व्यापार मंडल स0स0लि0
40	नवादा	मेसकौर	मेसकौर व्यापार मंडल स0स0लि0
41	नवादा	नरहट	नरहट व्यापार मंडल स0स0लि0
42	नवादा	नवादा	नवादा व्यापार मंडल स0स0लि0
43	नवादा	पकड़ीबरावों	पकड़ीबरावों व्यापार मंडल स0स0लि0
44	नवादा	सिरदला	सिरदला व्यापार मंडल स0स0लि0
45	नवादा	अकबरपुर	अकबरपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
46	पटना	बख्तियारपुर	बख्तियारपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
47	पटना	पालीगंज	पालीगंज व्यापार मंडल स0स0लि0
48	पटना	पुनपुन	पुनपुन व्यापार मंडल स0स0लि0
49	पटना	दानापुर	दानापुर खगौल व्यापार मंडल स0स0लि0
50	पटना	नौबतपुर	नौबतपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
51	पटना	दुल्हन बाजार	दुल्हन बाजार व्यापार मंडल स0स0लि0
52	पटना	मसौढी	मसौढी व्यापार मंडल स0स0लि0
53	पूर्णिया	पूर्णिया पूर्व	पूर्णिया संयुक्त व्यापार मंडल स0स0लि0, गुलाबबाग
54	पूर्णिया	कसवा	कसवा व्यापार मंडल स0स0लि0
55	पूर्णिया	कृत्यानन्द नगर	कृत्यानन्द नगर व्यापार मंडल स0स0लि0
56	पूर्णिया	बनमनखी	बनमनखी व्यापार मंडल स0स0लि0
57	पूर्णिया	धमदाहा	धमदाहा व्यापार मंडल स0स0लि0
58	पूर्णिया	बायसी	बायसी व्यापार मंडल स0स0लि0
59	पूर्णिया	अमौर	अमौर व्यापार मंडल स0स0लि0
60	पूर्णिया	वैसा	वैसा व्यापार मंडल स0स0लि0
61	पूर्णिया	डगरूआ	डगरूआ व्यापार मंडल स0स0लि0
62	पूर्णिया	श्रीनगर	श्रीनगर व्यापार मंडल स0स0लि0
63	पूर्णिया	जलालगढ़	जलालगढ़ व्यापार मंडल स0स0लि0
64	जमुई	खैरा	खैरा व्यापार मंडल स0स0लि0
65	जमुई	जमुई	जमुई व्यापार मंडल स0स0लि0
66	जमुई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
67	जमुई	सिकन्दरा	सिकन्दरा व्यापार मंडल स0स0लि0
68	जमुई	झाझा	झाझा व्यापार मंडल स0स0लि0
69	जमुई	ई0 अलीगंज	ई0 अलीगंज व्यापार मंडल स0स0लि0
70	जमुई	बरहट	बरहट व्यापार मंडल स0स0लि0
71	जमुई	चकाई	चकाई व्यापार मंडल स0स0लि0

72	जमुई	सोनो	सोनो व्यापार मंडल स0स0लि0
73	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	मुजफ्फरपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
74	बक्सर	राजपुर	राजपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
75	वैशाली	वैशाली	वैशाली व्यापार मंडल स0स0लि0
76	वैशाली	भगवानपुर	भगवानपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
77	वैशाली	सहदेई बुजुर्ग	सहदेई बुजुर्ग व्यापार मंडल स0स0लि0
78	वैशाली	लालगंज	लालगंज व्यापार मंडल स0स0लि0
79	वैशाली	महुआ	महुआ व्यापार मंडल स0स0लि0
80	वैशाली	बिदुपुर	बिदुपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
81	वैशाली	राजापाकर	राजापाकर व्यापार मंडल स0स0लि0
82	पूर्वी चम्पारण	रक्सौल	रक्सौल व्यापार मंडल स0स0लि0
83	समस्तीपुर	मोरवा	मोरवा व्यापार मंडल स0स0लि0
84	समस्तीपुर	कल्याणपुर	कल्याणपुर व्यापार मंडल स0स0लि0
85	समस्तीपुर	पटोरी	पटोरी व्यापार मंडल स0स0लि0
86	समस्तीपुर	सिंधिया	सिंधिया व्यापार मंडल स0स0लि0
87	समस्तीपुर	मोहिउद्दीननगर	मोहिउद्दीननगर व्यापार मंडल स0स0लि0
88	बेगूसराय	भगवानपुर	भगवानपुर व्यापार मंडल स0स0लि0

परिशिष्ट-1: पुरानी एवं नयी उपविधियों के आधार पर व्यापार मंडल की संरचना से संबंधित तुलनात्मक विवरणी

नई उपविधि के अनुसार

पुरानी उपविधि के अनुसार

सदस्यता

- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS)- प्रथम वर्ग
- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सहकारी समितियाँ, जिसके उद्देश्यों में से कोई एक व्यापार मंडल के उद्देश्य के अनुरूप हो-द्वितीय वर्ग
- राज्य सरकार- तृतीय वर्ग

सदस्यता

- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी समितियाँ-प्रथम वर्ग
- कार्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तिगत किसान-द्वितीय वर्ग
- व्यक्तिगत व्यापारी-तृतीय वर्ग, परन्तु ऐसे सदस्यों को समिति के व्यवस्था में भाग लेने का आम सभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा
- राज्य सरकार-चतुर्थ वर्ग

अयोग्यता

कोई भी समिति सदस्यता के योग्य अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य रहने योग्य नहीं होगा, यदि वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है :-

- दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया हो या दिवालिया हो या प्रमाणित दिवालिया हो, अथवा
- किसी राजनैतिक अभियोग के अतिरिक्त अभियोग में अथवा नैतिक पतन संबंधी अभियोग में दंडित हुआ हो और दंड अपील में रद्द या माफ न कर दिया गया हो दंड अपील में माफ होने पर ऐसा व्यक्ति सदस्य हो सकता है, बशर्ते कि अयोग्यता ऐसी हालत में जबकि दंड देने की तिथि से पाँच वर्ष बीत चुके हैं, लागू नहीं होंगी, अथवा
- समिति या वित्त पोषक बैंक का वेतन भोगी कर्मचारी हो, अथवा
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समिति द्वारा स्थापित कोई संबंध व्यक्तिक रूप में अथवा निलाम में या समिति की किसी लेन-देन के कार्य में (रुपए लगाने इन्वेस्टमेंट या कर्ज जिससे आर्थिक संबंध हो, उसके अतिरिक्त) स्वार्थ रखता हो और यदि वह संबंध या लेन-देन जारी हो या यदि वह लेन-देन, क्रय-विक्रय पूर्ण नहीं हुआ हो, अथवा
- वह अपने संबंधी के नाम पर समिति के कार्य के सदृश्य ही कार्य करता हो

अयोग्यता

कोई भी समिति सदस्यता के योग्य अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य रहने योग्य नहीं होगा, यदि वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है :-

- दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया हो या दिवालिया हो या प्रमाणित दिवालिया हो, अथवा
- किसी राजनैतिक अभियोग के अतिरिक्त अभियोग में अथवा नैतिक पतन संबंधी अभियोग में दंडित हुआ हो और दंड अपील में रद्द या माफ न कर दिया गया हो दंड अपील में माफ होने पर ऐसा व्यक्ति सदस्य हो सकता है, बशर्ते कि अयोग्यता ऐसी हालत में जबकि दंड देने की तिथि से पाँच वर्ष बीत चुके हैं, लागू नहीं होंगी, अथवा
- समिति या वित्त पोषक बैंक का वेतन भोगी कर्मचारी हो, अथवा
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समिति द्वारा स्थापित कोई संबंध व्यक्तिक रूप में अथवा निलाम में या समिति की किसी लेन-देन के कार्य में (रुपए लगाने इन्वेस्टमेंट या कर्ज जिससे आर्थिक संबंध हो, उसके अतिरिक्त) स्वार्थ रखता हो और यदि वह संबंध या लेन-देन जारी हो या यदि वह लेन-देन, क्रय-विक्रय पूर्ण नहीं हुआ हो, अथवा
- वह अपने संबंधी के नाम पर समिति के कार्य के सदृश्य ही कार्य करता हो
- पागल हो, अथवा
- वह लिये गए कर्ज के संबंध में समिति या दूसरी सदस्य समिति का बाकीदार हो, अथवा
- वह व्यावसायिक साहुकार (मनीलैंडर) हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति, जो इसके अतिरिक्त भी योग्य हो तो भी वह प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य निबंधक के पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं होगा, यदि वह कुल 3 वर्षों तक समिति का सदस्य रह चुका हो

प्रपत्र- 1A

पैक्स सहित सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची भाग-I (पुराना)
(पुरानी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-1)

जिला का नाम :

व्यापार मंडल का नाम :

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।

प्रपत्र- 1B

व्यक्तिगत किसानों के संबंध में मतदाता सूची भाग-II (पुराना)
(पुरानी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-2)

क्रमांक	सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र- 1C

पैक्स सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची भाग-I (नया)
(नयी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-1)

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।

प्रपत्र- 1D

पैक्स छोड़कर अन्य सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची भाग-II (नया)
(नयी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-2)

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।

प्रपत्र- 2

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

व्यापार मंडल, प्रखंड

पंजीयन संख्या.....

के सदस्यगण।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहाकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार व्यापार मंडल के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त व्यापार मंडल के कार्यालय तथा जिला सहाकारिता पदाधिकारी..... के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची दिनांक से तक विहित स्थलों पर प्रकाशित रहेगी।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.09.2022 है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक से (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4) का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक को किया जायेगा।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

पता

ज्ञापांक:

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबंधक/ सचिव, व्यापार मंडल, को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची (प्रपत्र-1) को व्यापार मंडल कार्यालय के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

2. कृपया मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना अपने स्तर से उपरोक्त व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को दे दें।

निर्वाचन पदाधिकारी

पता

प्रपत्र-3

(मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

.....व्यापार मंडल प्रखंड

महोदय,

मैंउपर्युक्त व्यापार मंडल के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची, 1A/1B/1C/1D (जो लागू नहीं हों, उसे काट दें) के क्रमांक.....पर श्री/ श्रीमती/ कुमारी...../..... सहयोग समिति का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i)

(ii)

अथवा

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारीपिता/पति का नामपता/.....सहयोग समिति का अध्यक्ष आवेदन/ दर्ज करता हूँ कि मेरा / मेरी/ समिति का नाम उपरोक्त व्यापार मंडल की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय। कारण(यदि आवश्यक हो तो

अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र / शेर प्रमाण-पत्र की प्रति*

(ii) समिति की संबद्धता से संबंधित सबूत**

(iii)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त व्यापार मंडल के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम.....; पिता का नाम; मतदाता सूची का क्रमांक.....***/सहयोग समिति का नाम-....., मतदाता सूची का क्रमांक.....***

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में इनमें से एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** सोसाईटी का नाम जोड़ने के लिए इस अभिलेख को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. श्री/श्रीमती/कुमारी....., जोका/की निवासी हैं/..... सहयोग समिति के अध्यक्ष द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और व्यापार मंडल की मतदाता सूची के क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी...../..... समिति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक..पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।
2. निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है-

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी,

..... व्यापार मंडल

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पता...../.....सहयोग समिति जोव्यापार मंडल के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांकको प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक है।

स्थान :

तारीख :

आपत्ति प्राप्त करने वाले

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-4

(मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,व्यापार मंडल

..... प्रखंड

महोदय,

मैंनिवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे /..... समिति से सम्बद्ध प्रविष्टि जो व्यापार मंडलप्रखंड के प्रारूप मतदाता सूची में क्रम संख्या.....परके रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय।

.....

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(अगर आपत्तिकर्ता कोई समिति है तो उसकी ओर से समिति का अध्यक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है।)

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी....., जोका/की निवासी हैं/समिति के अध्यक्ष हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है :

.....

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी,

.....व्यापार मंडल

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता...../ समिति, जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांकको प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक है।

स्थान :

तारीख :

आपत्ति प्राप्त करने वाले

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-5

(अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)

जिला :

प्रखंड व्यापार मंडल

मतदाता सूची का प्रपत्र संख्या* :.....

1. प्रविष्टि जो हटाई गई

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता / समिति का नाम

2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता / समिति का नाम	पिता का नाम**	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

**समिति के मामले में सिर्फ पता दर्ज करें।

3. प्रविष्टि जो जोड़ी गई

सदस्य का नाम	पिता का नाम**	पता	अयोग्यता यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

**समिति के मामले में सिर्फ पता दर्ज करें।

*मतदाता सूची के प्रत्येक भाग (भाग-I या भाग-II) के लिए अलग-अलग प्रपत्र-5 बनाया जायेगा।

प्रपत्र-6

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

व्यापार मंडल के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.09.2022 को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित व्यापार मंडल कार्यालय तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति व्यापार मंडल को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :

पता

ज्ञापक:

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबंधक/ सचिव, व्यापार मंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दें।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :

पता